

बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां नगर, पटना-800 014

संख्या—FC/80/2021-326

प्रेषक,

नन्द कुमार माझी,  
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री आशोक यादव,  
पिता—श्री राम स्वरूप यादव,  
ग्राम—बिहटा, पोस्ट—मन्दना,  
जिला—शेखपुरा, पिन—811105

पटना 14, दिनांक—13/04/2022

विषय— श्री अशोक यादव द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत जलालपुर भौजा के खाता संख्या—125, 99, 131, खेसरा संख्या—476, 477, 485, 486, थाना संख्या—155, अचल—शेखपुरा में बरबीधा—शेखपुरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुंच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0225 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, रोडी का पत्रांक FP/BR/Approach/144139/2021/216, दिनांक 07.04.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रोडी का पत्रांक FP/BR/AppTouch/144139/2021/216, दिनांक 07.04.2022 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1–6 शर्तें तथा भाग—B में 1–10 शर्तें अधिरोपित हैं।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या—A के कठिका संख्या—1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (दिकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या—03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 318 /प्रति माहि) के आधार पर रु. 7,71,390/- (सात लाख एकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 318 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग—A के कठिका संख्या—2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल—0.0225 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु. 21,550/- (इककरी हजार पाँच सौ पचास रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेंसी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 7,71,390.00 (+) रु. 21,550.00 अर्थात् कुल रु. 7,92,940.00 (सात लाख बयावे हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-6 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-10 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रोची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage-II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापाक FC/80/2021- 326

दिनांक 13/04/2022

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को प्रासारिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 318/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०—यथोक्त।

ह०/-

(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापाक FC/80/2021- 326

दिनांक 13/04/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*माझी - १३-५-२२*  
(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।